



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 24.02.2025

**“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी 04 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के कारावास व कुल 44,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 20.03.2018 को वादी श्री करन सिंह पुत्र श्री राम निवासी ग्राम ज्वालाचण्डी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.हेमेन्द्र पुत्र शेर सिंह 2.अमीचन्द्र पुत्र शेर सिंह 3.विकास पुत्र अशोक 4.सोरन पुत्र शेर सिंह निवासीगण ग्राम ज्वालाचण्डी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी व वादी के पिता के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी, जिससे वादी के पिता की नाक में फ्रैक्चर आ गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 79/2018 धारा 323/325/308/504 भादवि बनाम हेमेन्द्र पुत्र शेर सिंह आदि कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था ।

### कार्यवाही –

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज 24.02.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 79/2018 धारा 308/325/323/34 भादवि के आरोपी अभियुक्तगण 1.हेमेन्द्र पुत्र शेर सिंह 2.अमीचन्द्र पुत्र शेर सिंह 3.विकास पुत्र अशोक 4.सोरन पुत्र शेर सिंह निवासीगण ग्राम ज्वालाचण्डी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व कुल ₹ 44,000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

### दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.हेमेन्द्र पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम ज्वालाचण्डी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 2.अमीचन्द्र पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम ज्वालाचण्डी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 3.विकास पुत्र अशोक निवासी ग्राम ज्वालाचण्डी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 4.सोरन पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम ज्वालाचण्डी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर



**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट:- थाना नजीबाबाद**

**दिनांक 24.02.2025**

**थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0स0 60/2025 धारा  
137(2)/65(2)/115(2)/351(2) बीएनएस व 5m/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित बाल  
अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।**

**संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 23.02.2025 को वादिया ने थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर पर तहरीर दी कि गांव के ही नाबालिक लडका वादी की नाबालिक पुत्री को बहला - फुसलाकर अपने साथ ले गया व उसके साथ गलत कार्य किया व विरोध करने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी दी । तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0स0 60/2025 धारा 137(2)/65(2)/115(2)/351(2) बीएनएस व 5m/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।

**कार्यवाही:-**

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0स0 60/2025 धारा 137(2)/65(2)/115(2)/351(2) बीएनएस व 5m/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

**बाल अपचारी का विवरण:-**

एक बाल अपचारी ।

**अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम :-**

1-व0उ0नि0 श्री ईलम सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2-का0 2002 विशाल चौहान थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



**जनपद बिजनौर**  
**प्रेस नोट—थाना स्योहारा**

**दिनांक 24.02.2025**

**थाना स्योहारा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 54/25 धारा 87/74 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण—**

दिनांक 10.02.2025 को वादी ने थाना स्योहारा पर अभियुक्त शिवम पुत्र बलवीर सिंह निवासी ग्राम लाम्बाखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में मु0अ0सं0 54/25 धारा 87 बीएनएस पंजीकृत कराया गया। दिनांक 20.02.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 74 बीएनएस की वृद्धि की गयी।



**कार्यवाही :-**

आज दिनांक 24.02.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 54/25 धारा 87/74 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त शिवम पुत्र बलवीर सिंह निवासी ग्राम लाम्बाखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—**

1. शिवम पुत्र बलवीर सिंह निवासी ग्राम लाम्बाखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—**

1. म0उ0नि0 श्री काजल तेवतिया थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2. मुख्य आरक्षी 535 भजनलाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी 2135 अमित भाटी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद

दिनांक – 24.02.2025

**थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 61/25 धारा 74 / 77 / 78 / 333 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.02.2025 को वादिया ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अमन पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी बसन्ती माता मन्दिर मौ0 जाब्तागंज जनपद बिजनौर द्वारा घर में घुसकर वादिनी के साथ छेड़छाड़ की गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 61/2025 धारा 74/333 बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही एवं साक्ष्यों के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 77/78 बीएनएस की वृद्धि की गयी ।



### कार्यवाही –

आज दिनांक 24.02.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त अमन पुत्र चन्द्रप्रकाश सिंह निवासी बसन्ती माता मन्दिर मौ0 जाब्तागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अमन पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी बसन्ती माता मन्दिर मौ0 जाब्तागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 349 कपिल सिरोहा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर